राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

खाद्य भवन, भूतल शासन सचिवालय जयपुर

क्रमांकः एफ.2(1)( )आ.प्र.एवं सहा./लेखा/ऑडिट/2019–20/4206-213 जयपुर, दिनांक 28.8.23

आदेश

वित्त (अंकेक्षण अनुभाग) विभाग के पत्रांक प. 12 (03) वित्त/अंकेक्षण/2017 दिनांक 19.09.2019 की पालना में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों तथा जनलेखा समिति की बकाया सिफारिशों के उत्तर/क्रियान्विति विषयक सूचना निर्धारित समयावधि में प्रेषित कराने तथा समिति द्वारा परीक्षण निर्धारित करने पर क्रियान्विति /उत्तर परीक्षण की तिथि से 7 कार्यदिवस पूर्व भिजवाने आदि के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 28.7.2022 की निरन्तरता में श्री देवेन्द्र कुमार जैन उप शासन सचिव के स्थानान्तरण उपरान्त प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निम्न अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है:–

नोडल अधिकारी का नाम : श्री जगत राजेश्वर

पद नाम : उप शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

दूरभाष (कार्यालय) : 0141–2227985

मोबाईल नम्बर : 7220000001

नोडल अधिकारी द्वारा निम्नाकिंत कर्त्तव्यो/दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित किया जावेगा:–

1. भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर प्रतिवेदनों के राजस्थान विधानसभा में उपस्थापित किये जाने की तिथि से तीन माह की अवधि में प्रधान महालेखाकार कार्यालय से संवीक्षा कराकर राजस्थान विधानसभा को आवश्यक रूप से प्रेषित कराना ।
2. इसी भांति जनलेखा समिति की बकाया सिफारिशों की पूर्ण क्रियान्विति विषयक सूचना प्रतिवेदनों के राजस्थान विधानसभा में उपस्थापित किये जाने की तिथि से छः माह की अवधि में प्रधान महालेखाकार कार्यालय से संवीक्षा कराकर राजस्थान विधानसभा को आवश्यक रूप से प्रेषित कराना
3. नोडल अधिकारी अंकेक्षण से सम्बन्धित समस्त मामलों के निर्धारित समयवधि में उत्तर प्रेषित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।
4. जनलेखा समिति द्वारा किसी विभाग की परीक्षणात्मक बैठक निर्धारित कर दिये जाने पर उससे सम्बन्धित नवीनतम संवीक्षित उत्तर/क्रियान्विति विषयक सूचनाएं निर्धारित परीक्षण की तिथि से सात कार्य दिवस पूर्व जनलेखा समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना।

लगातार .....

5. महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों/तथ्यात्मक विवरण/प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराज/भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों अथवा अन्य किसी जॉच के माध्यम से जैसे ही प्रकरण/अनियमितता विभाग/शासन के ध्यान में आयें, उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उचित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावें ताकि दोषी अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत होकर दण्ड से बच नही सके। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के पटल पर उपस्थापित किये जाने की प्रतीक्षा करने के बजाय महालेखाकार कार्यालय द्वारा अनुच्छेदों के सम्बन्ध में अन्तिम मीमों दिये जाने के बाद से ही विभाग तत्सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दे, जिससे कि प्रकरणों के निस्तारण में होने वाले विलम्ब और उसके प्रभावों से बचा जा सके।
6. जनलेखा समिति द्वारा किसी विभाग का परीक्षण निर्धारित कर दिया जावे तो उसमें सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को आवश्यक रूप से उपस्थित होना चाहिए। साक्ष्य को स्थगित नही कराना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अविलम्ब ही मुख्य सचिव के माध्यम से स्थगन की प्रार्थना प्रेषित की जावे ताकि उस तिथि का उपयोग किसी अन्य विभाग के परीक्षण हेतु किया जा सके। तत्सम्बन्धी पालना सुनिश्चित कराना।
7. जनलेखा समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान दिये गये आश्वासनों के अनुरूप साक्ष्य के दिन से ही क्रियान्विति की कार्यवाही आरम्भ कर दें और समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने की प्रतीक्षा में वांछित कार्यवाही को लम्बित नही रखा जावें।
8. न्यायालयों में चल रहे विभिन्न वादों में सरकार के पक्ष को भलीभांति प्रस्तुत करना तथा सरकार के विरूद्ध एकतरफा (Ex-Party) निर्णय पारित न हो। इस बिन्दु की पालना सुनिश्चितता किया जाना।

(पी.सी.किशन)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ.2( )आ.प्र.एवं सहा./लेखा/ऑडिट/2019/ 4206-213 दिनांक 28-8-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव जनलेखा समिति, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, उप शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपडेट करने बाबत।

उप शासन सचिव